यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा देहरादून के माह 06/2013 से 08/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.09.2018 से 15.09.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मौ.मोटर, वेल्डर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार हेतु विभिन्न कम्पनियो मे प्लसमेंट कराया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे देहरादून क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2013-14	0.00	0.00	94.90	93.43	4.84	4.36	-	1.94
2	2014-15	0.00	0.00	116.08	115.29	7.11	6.84	-	1.06
3	2015-16	0.00	0.00	120.90	120.75	8.67	4.46	-	4.36
4	2016-17	0.00	0.00	169.95	168.98	19.21	18.65	-	1.50
5	2017-18	0.00	0.00	191.03	190.52	17.86	15.44	-	2.93
6	2018-19	0.00	0.00	203.40	104.14	6.75	2.26	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 06/2018 से 08/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- धनराशि रु. 11.35 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत मद संख्या-26 "मशीन और उपकरण" के तहत आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय की स्थिति निम्नवत पायी गयीः-

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1.	2016-17	413000	397239	15761
2.	2017-18	281000	280929	71
3.	2016-17	458633	457650	983
योग		**1152633**	**1135818**	**16815**

उपरोक्त के अनुसार विगत वर्षों में रु. 11.52/- लाख की धनराशि संस्थान को आवंटित की गयी थी जिसके सापेक्ष धनराशि रु. 11.35/- लाख का व्यय मशीनों एवं उपकरणों पर किया गया। संस्थान स्तर से मांग पत्र (Demand letter/shortage of tools & machine) की सूची तैयार कर निदेशालय प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर विभिन्न मैसर्स/आपूर्तिकर्ता से टूल्स एवं मशीन का क्रय कर संस्थान तो प्रदान किया गया। जांच में पाया गया कि संबंधित मशीनों एवं उपकरणों के क्रय पद्धति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट में अप्रस्तुत पाया गया। आपूर्तिकर्ताओं को क्रय/आपूर्ति आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए गए जबकि उनके भुगतान की कार्यवाही यूनिट स्तर से पूरी करायी गयी। इकाई का आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद बिना क्रय पत्रावली प्राप्त किए न केवल फर्मों को भुगतान किया गया बल्कि प्राप्त मशीनों एवं उपकरणों संबंधित की कोई इनवेंटरी/सूची का रखरखाव इकाई द्वारा नहीं किया गया। आगे जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि निदेशालय द्वारा संबंधित टूल्स एवं मशीनों के क्रय आदेश जारी किए गए एवं मशीनों एवं उपकरणों हेतु जारी क्रय आदेशों की संवीक्षा के क्रय आदेश जारी किए गए एवं मशीनों एवं उपकरणों हेतु जारी क्रय आदेशों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि "बिन्दु संख्या- 08 payment shall be made by the Director, Training Uttrakhand after receiving the items successful installation erection, commissioning, training & technical verifications at the destination ITI level."

जबकि संबंधित धनराशि रु. 11.35/- लाख का भुगतान इकाई द्वारा किया गया। अतः लेखापरीक्षा में संबधित भुगतान हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि निदेशालय स्तर से क्रय प्रक्रिया अपनायी जा रही है एवं निदेशालय स्तर से जारी किए गए क्रय आदेश के सापेक्ष संस्थान में

आपूर्तित साज सज्जा के सापेक्ष भुगतान के संबंध में निर्देश एवं बजट आवंटन होने पर भुगतान की कार्यवाही की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि संस्थान को टूल्स एवं मशीनों के क्रय हेतु बजट अलग से विभाग/शासन स्तर से प्रदान किया गया था एवं क्रय प्रक्रिया/क्रय आदेश निदेशालय स्तर से जारी किए गए जिसके सापेक्ष आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान इकाई स्तर से सुनिश्चित किया गया जबकि संबंधित क्रय आदेशों के अनुसार फर्म/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए जाने का दायित्व का था न की इकाई का था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- बाह्य स्रोत से निष्पादित रु. 45.63 लाख की निर्माण कार्य नियमाकूल नहीं पाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य, आई.टी.आई., राजपुर रोड़ देहरादून में पीपीपी मोड के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याजरहित ऋण के रुप में रु. 2.50 करोड़ फंडिग से उच्चीकरण हेतु रु. 45.63 लाख लागत की कराये गए प्राइवेट एजेंसी से निर्माण कार्य की संवीक्षा लेखापरीक्षा में की गयी तथा पाया गया कि संस्थान में Work shop, Cant een and Car & Scooter Parking हेतु दिनांक 25.01.2014 के अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को रु. 45.63 लाख का कार्य आवंटन किया गया जिसके पूर्ण होने की तिथि जून, 2016 पायी गयी।

बाह्य स्रोत से निष्पादित कराये गए कार्य के परिप्रेक्ष्य में सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 165 के अनुसार वित्तीय नियम प्राइवेट वर्किंग एजेंसी से निर्माण कार्य कराने की तभी अनुमति देता है, जब इकाई को शासकीय व्यवस्था में कार्य हेतु अपेक्षित Expertise प्राप्त न हो तथा इकाई निर्माण कार्य निष्पादित हेतु Consultancy Evaluation Committee गठित करने में सक्षम हो तथा कंसल्टेंट तथा ठेकेदार के कार्यों की निरंतर मोनिटेरिंग करने के लिए विभाग/इकाई संसाधन विकसित करने में सफल हो। परंतु, ऐसा किया जाना, लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया तथा बाह्य स्रोत से कार्य कराने के पूर्व भारत सरकार नियमतः अनुमति नहीं प्राप्त की गयी। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों में कंसल्टेंट का आगणन का तकनीकी परी क्षण नियमानुसार न कराकर आईएमसी समिति के स्तर से निम्नतर दर को आधार बनाकर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। कंसल्टेंट तथा ठेकेदार के कार्यों की निरंतर मोनिटरिंग करने के लिए नियमतः समिति द्वारा मैकेनिज्म सृजित नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य की कई तकनीकी समस्याओं की बारीकियों को समझने में कंसल्टेंट ने यह कहते हुये अनभिज्ञता जाहिर की, यह उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता जिसका अनुबंध के अनुसार ठेकेदार द्वारा नियुक्त इंजीनियर से निष्पादित कराया जाना था, परंतु इसका विवाद निर्माण कार्य के सम्पूर्ण अवधि में बना हुआ पाया गया, फलतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती रही ।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का Measurement अपने स्तर से तैयार कर माप पुस्तिका में प्रस्तुत किये जाने पर सोसाइटी द्वारा नियुक्त Civil consultant द्वारा उक्त Measurement की जांच कर सत्यापन किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया था, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर संस्थान स्तर से निरीक्षण करते हुए Consultant के माध्यम से भी समस्त जांच पूरी कराई गयी थी।

उत्तर तर्क संगत नहीं पाया गया। नियमसंगत प्राइवेट कंसल्टेंट तथा ठेकेदार का मोनिटरिंग करने के लिए पृथक से आईएमसी समिति से भिन्न तकनीकी समिति गठित की जानी थी, परंतु इनकी मोनिटरिंग न होने से कंसल्टेंट तथा ठेकेदार के बीच लगातार विवाद बना रहा। जिस कारण निर्मित भवन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कमी पायी तथा कंसल्टेंट द्वारा तैयार आगणन की तकनीकी परीक्षण न होना भी निर्माण कार्यों के मानकों की अनदेखी का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- शासकीय दिशानिर्देश का क्रियान्वयन न होने के फलस्वरुप अवमुक्त समस्त स्वीकृत धनराशि रु. 313.84 लाख के बावजूद निर्माण कार्य अवरुद्ध पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण गुजराडा, देहरादून की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यालय परिसर में Administrative Block तथा Workshop के निर्माण के लिए कार्य की मूल लागत रु. 177.74 लाख थी, वर्ष 2005 में शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण एजेंसी को समय से धनराशि जारी नही होने के कारण तथा दर में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2005-06 के लोक निर्माण विभाग के नई दरों पर पुनः योजना की पुनरीक्षित आगणन रु. 313.84 लाख पायी गयी जिसकी वर्ष 2008 में शासकीय स्वीकृत प्रदान की गयी। तथा स्वीकृत पुनरीक्षित आगणन की समस्त राशि ढाई वर्ष के अन्दर निर्माण एजेंसी को अवमुक्त कर दी गई। परंतु वर्ष 2013 से धनाभाव के कारण निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ तथा कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड देहरादून द्वारा पुनः रु. 483.12 लाख की प्रस्तुत आगणन की स्वीकृति प्रतीक्षित पायी गयी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 163/xxvii(7)/2007 दिनांक 25.05.2008 के अनुक्रम में वर्ष 2008 में समस्त विभाग जो कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय MOU की प्रक्रिया पूरी कराया जाना बाध्यकारी बताया गया, परंतु दिशानिर्देश जारी करने के पूर्व तथा पश्चात दोनों अवसरों पर ग्राहक विभाग निर्माण एजेंसी से अनुबंध करने में असफल रही। जांच में आगे पाया गया कि शासन को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रु. 483.12 लाख वर्ष 2014-15 के लोक निर्माण विभाग की दरों पर तैयार की गयी। जबकि निर्माण एजेंसी को वर्ष 2011 के मध्य तक समस्त धनराशि जारी कर दी गयी। निर्माण एजेंसी अवमुक्त धनराशि की ढाई वर्ष की अवधि में पुनरीक्षित लागत की समस्त राशि प्राप्त कर ली परंतु इन अवधि में निर्माण कार्य पूरी नहीं करने का कारण इन निर्धारित अवधि में न बताकर कार्य को वर्ष 2013 मार्च तक खीचती रही तथा 2014-15 की बढ़े हुये दरों पर लाभ लेने के लिए इरादतन पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किए जाने का प्रकरण पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि तत्कालीन शासनादेश के अनुसार अनुबंध के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, वर्ष 2008 में पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी। समझौता ज्ञापन के संबंध में वर्ष 2007-08 में शासकीय दिशानिर्देश समस्त विभागाध्यक्ष को जारी कर दिये गए थे, फिर भी पुनरीक्षित लागत की MOU कारदाई संस्था से पूरी नहीं कराई गयी, फलतः कार्यदायी संस्था पर ग्राहक विभाग की पकड़ ढीली होने के कारण पुनरीक्षित धनराशि जारी होने के बावजूद भी कार्यदायी संस्था इरादतन समयविर्धी कर दर विर्धी की प्रतीक्षा करती रही एवं धनाभाव के कारण कार्य बंद होने का कारण बताकर पुनः दूसरी बार पुनरीक्षित आगणन का अवसर प्राप्त करना ग्राहक विभाग का दिशानिर्देशन के प्रति उदासीनता का परिणाम था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ राजपुर रोड़, गुजराडा, देहरादून	05/2016 से 16.07.2017 तक
श्री अनिल सिंह	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ राजपुर रोड़, गुजराडा, देहरादून	17.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड़, गुजराडा देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.